Website : www.sudaup.org, email : pmusuda@gmail.com
फोन : 0522-2286709, 2286710 फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण

पत्रांकः 1404 /कैम्प/नि.सूडा/2017 दिनांकः 21 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
   उत्तर प्रदेश।

संदर्भः– **शासन के पत्रांक 1985/69–1–17–11(रिट)/14 टी.सी. दिनांक 20.12.2017 के क्रम में।**

विषय : रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में समस्त नगर निकायों में शहरी बेघरों के सर्वेक्षण एवं नगर निकायों के अधीन पूर्व में संचालित विद्यालयों/अन्य भवनों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त संदर्भ/विषयक शासन के पत्र संख्या–1985/69–1–17–11(रिट)/14 टी.सी. दिनांक 20.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन का उपर्युक्त वर्णित पत्र शासन के पत्रांक 1798/69–1–17–11(रिट)/14 टी.सी. दिनांक 20.11.2017 एवं मिशन निदेशक सूडा के पत्र सं0–801/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 01.12.2017 के तारतम्य में है।

शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 20.12.2017 के माध्यम से प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत नगरीय निकायों के सभी शेल्टर्स के साथ ही दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित सभी शेल्टर्स को सुचारू रूप से संचालित कर आश्रय गृह में प्रत्येक दिवस रहने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने एवं शहर में पाये गये सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शेल्टर्स निर्माण हेतु भूमि/भवन का चिन्हांकन कर सूचना डूडा/सूडा को उपलब्ध कराने का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु अधिकांश शहरों/जनपदों से अपेक्षित सूचनाएं अद्यतन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में दिनांक 13.12.2017 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान जनगणना, 2011 के अनुसार प्रदेश में पाये गये 180929 शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु सुचारू रूप से रोड मैप उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत आगामी सुनवाई की नियत तिथि 10.01.2018 को प्रमुख सचिव एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किये जाने के अन्तरिम आदेश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश के दृष्टिगत दिनांक 19.12.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी सुनवाई की नियत तिथि से पूर्व प्रदेश सरकार की तरफ से तत्काल विजन डाक्यूमेंट एवं रोड मैप प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा विजन डाक्यूमेंट एवं रोड मैप तैयार किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

रात्रि 09 बजे से 02 बजे के मध्य अभियान के रूप में शहरी बेघरों का सर्वेक्षण निर्धारित **प्रारूप–क** पर प्रत्येक दशा में कराकर सर्वेक्षण आंकड़े निर्धारित **प्रारूप–ख** पर संकलित कराते हुए जनपद के जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को दिनांक 27.12.2017 को प्रातः 10 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। डूडा द्वारा समस्त नगर निकायों से प्राप्त शहरी बेघरों के आंकड़ों को निकायवार संकलित कर प्रत्येक दशा में दिनांक 28.12.2017 को प्रातः 12 बजे तक एस0यू0एल0एम0 कार्यालय को ई–मेल nulmup@gmail.com के माध्यम से एवं विशेष वाहक द्वारा भी हार्ड एवं साफ्ट प्रति में उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त के साथ ही मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी नगरीय निकाय अपने निकाय क्षेत्रान्तर्गत में पूर्व में संचालित विद्यालय भवनों एवं अन्य भवनों का (जो कि वर्तमान में उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा लघु मरम्मत व रंगाई/पुताई करवाकर उपयोगी बनाये जाने योग्य हो) चिन्हांकर कर तत्काल सूची उपलब्ध करायें, जिन्हें तात्कालिक रूप से आवश्यक लघु मरम्मत, रंगाई/पुताई आदि कर तुरन्त शेल्टर होम में परिवर्तित कर शहरी बेघरों को जाड़े के दृष्टिगत आश्रय देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सुनिश्चित हो सके। भवनों का विवरण निर्धारित **प्रारूप–ग** पर सूचना दिनांक 22.12.2017 तक सम्बन्धित डूडा एवं सूडा, उ0प्र0 को ई–मेल nulmup@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देश का अनुपालन उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित अवधि तक सूचना मिशन निदेशक, सूडा को प्रत्येक दशा में ई–मेल nulmup@gmail.com एवं विशेष वाहक के द्वारा हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

कृपया प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश से अच्छादित है। अतः प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोपरि (प्रारूप क, ख, ग एवं घ)

भवदीय,

21/12/17

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त का अपने स्तर से भी अनुश्रवण कर शासन के उपर्युक्त पत्रांक 1985 दिनांक 20.12.2017 का ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि शासन के उपरोक्त पत्र का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित नगर निगम/नगर निकाय से निरंतर समन्वय स्थापित रखें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा।